रसोइया चयन शासनादेश तथा रसोइयों के कर्तव्य

संख्या– 843/अरसठ–4–2022–604/2020

प्रेषक,

अवधेश कुमार तिवारी,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1–निदेशक,
मध्याह्न भोजन प्राधिकरण,
उ0प्र0 लखनऊ।

2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त, 2022

विषयः–पी0एम0 पोषण (मध्याह्न भोजन) योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में रसोईया चयन की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के पत्रांक–म0भो0प्रा0/285/2022–23 दिनांक 09 अप्रैल, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रसोइया चयन, रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण पर लगायी गयी रोक समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण/चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–10 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर–6 में विहित व्यवस्था के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

31/8/2022

(अवधेश कुमार तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0 लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
3– समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(धर्मेन्द्र मिश्र)
अनु सचिव।

Su.mdm.go 2022

अतिमहत्वपूर्ण

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, औरैया

पत्रांक/एम0डी0एम0/ 5534-36 /2022-23/ दिनांक 06-09-2022

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी।

जनपद-औरैया।

विषय-पी0एम0 पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2022-23 में रसोईया चयन की अनुमति के संबंध में ।

उपर्युक्त विषयक, विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के शासनादेश संख्या 843/अरसठ-4-2022-604 -2020 दिनांक 31/07/2022 के द्वारा अवगत कराना है कि निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांक-म०भो ०प्रा०/285/2022-23 दिनांक 09 अप्रैल, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रसोइया चयन, रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण पर लगायी गयी रोक समाप्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस सम्बन्ध में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत रसोईयों की संख्या का पुनर्निर्धारण एवं नवीनीकरण/चयन की कार्यवाही शासनादेश संख्या-435(1)/79-6-10 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के प्रस्तर -6 में विहित व्यवस्था के अनुसार किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अतः इस पत्र के साथ विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन, लखनऊ का पत्र संलग्न करते हुये आप को निर्देशित किया जाता है कि रसोईया चयन संबंधित आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः पत्र 02।

(विपिन कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 जिलाधिकारी महोदय, जनपद-औरैया।
2 जिला विद्यालय निरीक्षक, औरैया।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
औरैया

4 अक्टूवर 2019 का साशनादेश

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

बेसिक शिक्षा अनुभाग–3 **लखनऊः दिनांक 4 अक्टूबर, 2019**

विषयः बेसिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के उपरान्त मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत कार्यरत रसोइयों की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा एक ही परिसर में संचालित प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के संबंध में बेसिक शिक्षा अनुभाग–5 द्वारा शासनादेश सं0–1705/68–5–2018 दिनांक–22.11.2018 निर्गत किया गया है, जिसके कारण रसोईयों की संख्या के संबंध में पुर्ननिर्धारण किया जाना आवश्यक हो गया है।

वर्तमान में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में रसोइया चयन के सम्बन्ध में शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 प्रभावी है, जिसके प्रस्तर–2 में विद्यालय में रसोइयों की संख्या हेतु निम्नवत् मानक निर्धारित हैः–

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोइयों की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301 से 1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

2– उपर्युक्त संदर्भित संविलियन शासनादेश दिनांक–22.11.2018 प्रभावी होने के कारण कार्यरत रसोईयों की संख्या में कमी/वृद्धि होने के दृष्टिगत कतिपय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा मांगे गये मार्गदर्शन एवं रसोईयां जन कल्याण समिति, उ0प्र0 द्वारा विद्यालय के संविलियन उपरान्त कार्यरत रसोईयों के नवीनीकरण/हटाये जाने के संबंध में दिशा–निर्देश प्रदान किये जाने के अनुरोध किया गया है।

3– उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरान्त निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना समीचीन पाया गया हैः–

(क) संविलियन के उपरान्त विद्यालयों की संख्या में कमी आने की दशा में कार्यरत रसोइयों की संख्या के पुनर्निर्धारण की स्थिति में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त रसोइयों की संख्या का निर्धारण शासनादेश संख्या–435(1)/79–6–2010 दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार ही सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अनुसार रसोइये का चयन सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से किए जाने का प्राविधान है। अतः संविलियन के उपरान्त शासनादेश द्वारा रसोइयों की अनुमन्य संख्या से अधिक रसोइया

कार्यरत होने की स्थिति में सर्वप्रथम उस अतिरिक्त रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिनका पाल्य विद्यालय में अध्ययनरत नहीं है।

(3) बिन्दु संख्या–2 के अनुसार कार्यवाही किए जाने की स्थिति के उपरान्त भी यदि अतिरिक्त रसोइया कार्यरत हैं, तो उक्त स्थिति में सबसे बाद में चयनित रसोइया (Last in First Out) को कार्य से विरत किया जाएगा।

(4) ऐसी स्थिति में जहाँ एक से अधिक रसोइया एक साथ अथवा एक सत्र में चयनित की गयी हों और उनमें से किसी एक को कार्य से विरत किया जाना हो, तो उस रसोइया को कार्य से विरत किया जाएगा, जिसकी आयु कम होगी।

(5) शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित है कि अभ्यर्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यक्ता को प्राथमिकता दी जाएगी एवं विधवा एवं परित्यक्ता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जाएगी। अतः कार्यरत रसोइया, जो विधवा अथवा परित्यक्ता हैं, यथा सम्भव कार्य से विरत न किया जाय।

(6) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संविलियन के कारण कार्यरत रसोइयों के नवीनीकरण के समय संख्या पुनर्निर्धारण की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 24 अप्रैल, 2010 में वर्णित समिति द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

(ख) विद्यालयों के संविलियन की कार्यवाही सम्पादित किये जाने के समय निम्नवत् सावधानियाँ भी विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित की जाए :–

(1) संविलियन के उपरान्त विद्यालय के 'मध्यान्ह भोजन निधि' हेतु एक ही बैंक खाते का संचालन सुनिश्चित किया जाएगा। तद्विषयक वित्तीय उत्तरदायित्वों का निर्वहन उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 22 नवम्बर, 2018 में उत्तरदायी प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(2) प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवर्तन लागत की दर भिन्न होने के कारण मध्यान्ह भोजन ग्रहण किए जाने से सम्बन्धित रिकार्ड एमडीएम की दो अलग–अलग पंजिकाओं यथा–कक्षा–1 से 5 एवं कक्षा–6 से 8 हेतु पृथक–पृथक रखा जाएगा।

(3) संविलियन विषयक कार्यवाही पूर्ण किये जाने तक विद्यालयों के संविलियन विषयक बिन्दु को टास्क फोर्स की बैठक में एजेण्डा बिन्दु के रूप में सम्मिलित किया जाय।

(4) बच्चों को निर्धारित मात्रा में मेन्यू के अनुसार गुणवत्ता युक्त मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) योजना से सम्बन्धित संसाधनों एवं अवस्थापना सुविधाओं को सुनिश्चित करते हुए समस्त विवरण (बर्तन, किचन उपकरण, एल0पी0जी0, कन्टेनर आदि) एक पंजिका में अंकित (स्टॉक इन्ट्री) कर लिया जाय। उक्त स्टॉक इन्ट्री का शतप्रतिशत सत्यापन सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) संविलियन किए गये विद्यालयों का प्राथमिकता के आधार पर निरीक्षण करते हुए शासनादेश द्वारा निर्देशित कार्यवाही का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(ग) शासनादेश संख्याः 435(1)/79–6–2010, दिनांक 24 अप्रैल, 2010 के अन्य प्राविधान यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

संख्या–1195(1)/अड़सठ–3–2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, उ0प्र0।
4. निदेशक, बेसिक/माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
5. राज्य परियोजना निदेशक, महिला समाख्या, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उ0प्र0 प्रयागराज।
9. समस्त, मुख्य एवं वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उत्तर प्रदेश।
11. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
14. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–11/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1/2/नियोजन अनुभाग–4, उत्तर प्रदेश शासन।
15. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देव प्रताप सिंह)
विशेष सचिव।

24 अप्रैल 2010 का शासनादेश

संख्याः 4350/79–6–10

प्रेषक,

जितेन्द्र कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा (6) अनुभाग लखनऊ दिनांकः 24 अप्रैल, 2010

विषयः प्रदेश में मध्यान्ह भोजन योजना से आच्छादित विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को पके–पकाये मध्यान्ह भोजन की व्यवस्था हेतु रसोईये का चयन एवं नियत मानदेय के सम्बन्ध में।

महोदय,

मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत आच्छादित राजकीय/स्थानीय निकाय/सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों, तहतानिया स्तर के मकतब/मदरसो, ई0सी0जी0आई0 केन्द्रों में भोजन पकाने हेतु स्थानीय स्तर पर रसोईये की व्यवस्था ग्राम प्रधान, वार्ड सभासद एवं स्वयं सहायता समूह आदि द्वारा की जाती है। शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 जारी होने के पूर्व इन रसोईयों को परिवर्तन लागत के अन्तर्गत प्रशासनिक व्यय हेतु अनुमन्य धनराशि में से ही मानदेय का भुगतान किया जाता था। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के पत्र संख्या–एफ0एन0ओ01–1/2009–डेस्क(एम0डी0एम0) दिनॉक–24.11.09 के कम में निर्गत शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा उक्त निर्धारित व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए रसोईये के लिए रू0 1000/– की दर से पृथक से मानदेय दिये जाने की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। रसोईये पर होने वाले व्यय का 75 प्रतिशत वहन भारत सरकार द्वारा तथा शेष 25 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

2. शासनादेश संख्या–3026/79–6–2009 दिनॉक–26.12.09 द्वारा निर्धारित नवीन व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत, वार्ड शिक्षा समिति, स्वयं सहायता समूह से आच्छादित विद्यालयों तथा एन0जी0ओ0 द्वारा विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन बनवाने की स्थिति में तथा शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों द्वारा विद्यालय में मध्यान्ह भोजन बनदाने की स्थिति में रसोईये की संख्या हेतु मानक निम्नवत् निर्धारित किया जाता है–

क्रम संख्या	विद्यालय में नामांकित छात्रों की संख्या	अनुमन्य रसोईये की संख्या
1	25 तक	1
2	26–100	2
3	101–200	3
4	201–300	4
5	301–1000	5
6	1001–1500	6
7	1501 से अधिक	7

रसोईये के मानदेय का भुगतान बैंक में रसोईये के नाम बचत खाता खुलवाकर एकाउण्ट पेई चेक के माध्यम से किया जायेगा। रसोईये के मानदेय हेतु निर्धारित धनराशि रू0 1000/– प्रतिमाह की दर से ग्राम शिक्षा निधि/वार्ड शिक्षा निधि के खाते में भेजी जायेगी। जबकि शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय, एन0जी0ओ0 तथा स्वयं सहायता समूह के संदर्भ में यह धनराशि सम्बन्धित संस्थाओं के खाते में भेजी जायेंगी।

3. ग्राम पंचायत एवं वार्ड समितियों के योजना के कार्यदायी संस्था होने की स्थिति में रसोईये का चयन शासनादेश संख्या–1429/79–6–04–1(6)/2000 टी.सी.–3 दिनॉक–25 जून,04

(छायाप्रति संलग्न) द्वारा गठित ग्राम पंचायत समिति/वार्ड समिति द्वारा किया जायेगा। रसोईये के चयन हेतु चयन की प्रकिया, चयन हेतु अर्हता एवं निष्कासन की प्रकिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है:–

रसोईये का चयन उपरोक्त समिति द्वारा सम्बन्धित विद्यालय में अध्यनरत विद्यार्थियों की अभिभाविकाओं (माता, दादी, बहन, चाची, ताई, बुआ) में से कार्मिक विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या–4/1/2001–कार्मिक–2 दि0 25.06.2002 द्वारा निर्धारित निम्नलिखित रोस्टर के आधार पर किया जाएगा –

1– अनुसूचित जाति
2– अनारक्षित
3– अन्य पिछड़ा वर्ग
4– अनारक्षित
5– अनुसूचित जाति
6– अनारक्षित
7– अन्य पिछड़ा वर्ग

तथापि किसी विद्यालय में नामांकित छात्र संख्या के आधार पर एक ही रसोईया अनुमन्य होने की स्थिति में एकल पद होने के कारण संबंधित स्थान अनारक्षित रहेगा।

4. उपरोक्त श्रेणियों के अन्तर्गत अभ्यार्थियों का चयन करते समय विधवा एवं परित्यकता को प्राथमिकता दी जायेगी। किसी स्थान हेतु विधवा एवं परित्यकता दोनों के आवेदन करने की स्थिति में विधवा को प्राथमिकता दी जायेगी। अभ्यर्थी के परित्यकता होने की स्थिति में उसे ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसी तरह अनुसूचित जाति अथवा अन्य पिछड़ा वर्ग का अभ्यर्थी होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

रसोईये के चयन के लिए यह आवश्यक नही है कि अभ्यर्थी आवेदन करने वाले विद्यालय से सम्बन्धित ग्राम पंचायत/वार्ड का निवासी हो, तथापि यह अनिवार्य होगा कि उससे सम्बन्धित बच्चा उसी विद्यालय में पढ़ता हो जिस विद्यालय में अभ्यर्थी द्वारा रसोईया रखे जाने के लिए आवेदन किया गया है। रसोईये का चयन एक शिक्षा सत्र के लिए किया जायेगा। किसी विद्यालय के लिए आवेदन करने वाले रसोइयों में से शासन द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानक के अनुसार अनुमन्य रसोईये की संख्या के दो गुना रसोइयों का पैनल तैयार किया जायेगा। किसी रसोईयें के बीमारी अथवा किसी अन्य कारण से किसी विद्यालय दिवस में अनुपस्थित होने पर इस पैनल की प्रतीक्षा सूची में से रसोईये को अनुपस्थित रसोईये के कार्य पर वापस आने तक लगाया जा सकेगा। इस रसोईये को प्रतिदिन रू0 45 की दर से मानदेय देय होगा जो कि अनुपस्थित रसोईये के मानदेय से कटौती कर दिया जायेगा। लेकिन ऐसे अतिरिक्त रसोईये को किसी माह विशेष में अधिकतम रू0 1000 का ही मानदेय अनुमन्य होगा अर्थात किसी माह विशेष में 23 व इससे अधिक विद्यालय दिवस होने की स्थिति में रू0 1000 मानदेय ही दिया जायेगा।

5. रसोईयों का चयन करने वाली ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति को यह अधिकार होगा कि मध्यान्ह भोजन पकाने संबंधी सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी मानकों के पालन में लापरवाही, अनुशासनहीनता, किसी संकामक रोग से ग्रसित होने, किसी दुर्घटना के घटित होने अथवा अन्य कोई युक्ति–युक्त कारण, जिसके कारण चयन समिति भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों के हित में रसोईये से कार्य लेना उचित न समझे, के विद्यमान होने की स्थिति में रसोईये को तत्काल प्रभाव से हटाकर संबंधित श्रेणी के अगले अभ्यर्थी को रसोईये के काम पर लगा सकेगी। ग्राम/वार्ड स्तरीय समिति द्वारा रसोईये के निष्कासन की कार्यवाही प्रधानाध्यापक की रिपोर्ट के आधार पर ही की जायेगी।

इस संदर्भ में वर्ष 2010–11 हेतु रसोईयों के चयन के लिए विज्ञापन मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण स्तर से दि0 27.04.2010 तक प्रकाशित किया जाये। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भी जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारियों, सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करने के निर्देश दे दिये जायें। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का यह भी दायित्व होगा कि शासन द्वारा निर्धारित मानको के आधार

कराये जा रहे खाद्यान्न का ही अंग होगा। अतः इस निमित्त धनराशि की व्यवस्था कराते हुए अवमुक्त किए जाने की आवश्यकता न होगी)

5. ग्रामीण क्षेत्र में किचेन शेड का निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) एवं शहरी मलिन बस्ती क्षेत्रों में किचेन शेड का निर्माण नेशनल स्लम डेवलपमेन्ट प्रोग्राम से दिया जाएगा। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चिन्हांकित नवीन विद्यालयों में किचेन शेड का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान से किया जाएगा।

6. खाना पकाने हेतु बर्तनों की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से की जाएगी।

7. योजना के क्रियान्वयन हेतु अपेक्षित धनराशि की व्यवस्था बेसिक शिक्षा विभाग के आय व्ययक में करायी जाएगी जिसे आवश्यकतानुसार पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग को अवमुक्त किया जाएगा। स्थानीय स्तर पर ग्राम पंचायत/वार्ड समिति के माध्यम से प्राथमिक विद्यालयों में भोजन पकाकर उपलब्ध कराये जाने का पूर्ण दायित्व पंचायती राज विभाग/नगर विकास विभाग का होगा।

8. ग्राम प्रधान/अध्यक्ष वार्ड समिति द्वारा बच्चों का सत्यापन संख्या के आधार पर कराते हुए प्रतिमाह कन्वर्जन कास्ट की धनराशि अग्रिम के रूप में की जा सकेगी तथा उपभोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करते हुए अगले माह हेतु अनाज एवं कन्वर्जन कास्ट प्राप्त किया जा सकेगा/सकेगी।

विद्यालयों में पके पकाये भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एवं समिति निम्नवत गठित की जाएगी।

1. ग्राम प्रधान	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिभावक प्रतिनिधि जो ग्राम प्रधान द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

9. नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका-पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की जाएगी :-

1. सम्बन्धित वार्ड समासद	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित वार्ड समासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों	सदस्य
3. सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक	सदस्य
4. दो पुरूष अभिमावक प्रतिनिधि जो वार्ड के समासद द्वारा मनोनीत होंगे	सदस्य

10. प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत बच्चों को पका-पकाया भोजन प्रतिदिन उपलब्ध कराये जाने हेतु जनपद स्तर पर भी एक समिति गठित की जाएगी जिसकी प्रत्येक माह कम से कम एक बैठक अवश्य की जाएगी। जनपद स्तरीय समिति का गठन निम्नवत् होगा :-

1. जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	सदस्य/सचिव
4. जिला विद्यालय निरीक्षण	सदस्य
5. जिला समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
6. जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
7. सम्बन्धित नगर आयुक्त/नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी	सदस्य
8. जिला पूर्ति अधिकारी	सदस्य

SMART CLASS
स्वच्छ स्कूल
सुन्दर स्कूल
अधिकार

सूर्यग्रहण
सूर्य
चन्द्रग्रहण
पृथ्वी
चन्द्रमा
यदि पूरा करना हो, ख्वाबों को। तुम रखना साथ, किताबों को॥

Mid Day Meal Authority
सामान्य ज्ञान
हमारे देश का नाम - भारत
भारत की राजधानी - नई दिल्ली
उत्तर प्रदेश की राजधानी - लखनऊ
राष्ट्रीय पशु - बाघ
राष्ट्रीय पक्षी - मोर
राष्ट्रीय ध्वज - तिरंगा झण्डा
विषय

निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अन्तर्गत
मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश
रसोइयों के कर्तब्य

- रसोई घर, खाद्यान्न एवं सब्जी दाल आदि की समुचित सफाई रखें |
- भोजन बनाने में साफ पानी का ही प्रयोग करें |
- हैण्डपम्प के आस पास साफ सफाई रखें |
- खाना बनाने से पूर्व साबुन से हाथ धोना एवं नाख़ून छोटे रखें |
- केवल एगमार्क मसालों एवं आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग करें |
- भोजन को सदैव ढककर पकायें एवं ढककर ही रखें |
- रसोईघर से कीड़े मकोड़ों एवं छिपकली आदि को बाहर निकालकर ही भोजन बनायें |
- रसोई सम्बन्धी उपकरणों की नियमित सफाई रखें |
- रसोईघर में प्रयोग के उपरान्त ताला लगा दें |

RAJKUMAR HEAD TEACHER AURAIYA - 9760712529